(b) what is the quantity of above cereals made available by the Central Government to the State and at what rate during 1958-59?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): (a) A statement, giving the required information, is placed on the Table of the Lok Sabha. [*See* Appendix III, annexure No. 135.]

(b) No maize or paddy has been supplied by Central Government to the Jammu and Kashmir State since 16-10-1958 *i.e.* the beginning of the food year 1958-59 but 6,000 tons of wheat and 3,500 tons of rice have been allotted up to the end of December, 1958.

हिमाचल प्रदेश में परिवहन

*६२३. **श्री पद्म देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन के होते हुये कितने लोगों को निजी ट्रक चलाने के परमिट दिये गये हैं ; और

(ख) ऐसे लोगों को परमिट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में २४ आदमियों को निजी ट्रक चलाने के लिये परमिट दिये गये हैं । इन ट्रकों का इस्तेमाल किराये या और दूसरे फायदों के लिये न किया जाकर निजी काम में होता है । इन गाड़ियों के चलने से हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीयकृत परिवहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

हिमाचल प्रदेश, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने सिर्फ एक ही पब्लिक कैरियर का परमिट दिया है । जिसे यह परमिट दिया गया है उसको पहले की बाघाट स्टेट से टैक्सियों के तीन और परमिट शिमला-कालका सड़क पर चलाने के लिये मिले हुये हैं । हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सर्विस का जब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था तब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने इस आदमी को इन परमिटों की मियाद बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी थी । इस पर इसने हिमाचल प्रदेश के जुडीशियल कमिश्नर की कचहरी में पैटिशन (petition) दाखिल किया था जहां फिर से परमिट मंजूर होने पर इसे परमिट दे दिया गया । इस आदमी ने फरवरी १९५२ में हिमाचल प्रदेश प्रशासन और पंजाब सरकार के बीच हुये करार के अनुसार इन तीनों परमिटों को एक बस परमिट में बदलने की प्रार्थना की थी । स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने इसे स्वीकार कर लिया । इसके बाद इस आदमी ने पब्लिक केरियर का परमिट लेने के लिये बस का परमिट जमा कर दिया और हिमाचल प्रदेश की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने इसे यह परमिट मंजूर किया था । टैक्सी के तीन परमिटों को पहले बस के परमिट में और फिर उसे पब्लिक केरियर में बदलना परिवहन की राष्ट्रीयकरण की योजना के प्रतिकूल जान पड़ता है. इसको यथोचित सुधारने के लिये प्रशासन का ध्यान दिलाया जा रहा है ।

Grand Trunk Road

*924. **Shri Subiman Ghose:** Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether the Grand Trunk Road from Calcutta to Delhi is a continuous one;

(b) if not, where it has been disconnected and why;

(c) whether the Government propose to make it a continuous one; and